

8-03/CSU/Acd./BoD/December/2025/58

CENTRAL SANSKRIT UNIVERSITY

केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय

(Established by an Act of Parliament, 2020)

(संसद के अधिनियम, 2020 द्वारा स्थापित)

नई दिल्ली/New Delhi -110 058

शैक्षणिक विभाग/ Academic Section

दिनांक 28.04.2026


अधिसूचना/Notification

विषय: एल.एल.बी. (Hons.) (भारतीय विधि शास्त्र) कार्यक्रम में पारम्परिक विद्यार्थियों हेतु आरक्षण एवं शुल्क रियायत प्रदान करने के संबंध में।

दिनांक 30 दिसम्बर, 2025 को सम्पन्न अधिष्ठातृ परिषद् के प्रस्ताव संख्या 08 के आलोक में यह अधिसूचित किया जाता है कि केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के एलएलबी कार्यक्रम में कुल उपलब्ध स्थान में से 50 प्रतिशत स्थान संस्कृत विश्वविद्यालयों से परम्परागत उपाधि प्राप्त विद्यार्थियों के अध्ययन हेतु आरक्षित किए जाएंगे।

इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के विभिन्न परिसरों के छात्रों को एलएलबी पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने पर निर्धारित शिक्षण शुल्क में 80 प्रतिशत तक की छूट प्रदान की जाएगी।

यह अधिसूचना सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से जारी की जाती है।

  
(डॉ. देवानन्द शुक्ल)  
उप निदेशक (शै.)

प्रतिलिपि:-

1. कुलपति कार्यालय, केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
2. कुलसचिव कार्यालय, केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
3. परीक्षा नियंत्रक, केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
4. समस्त परिसर निदेशक, केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
5. संबंधित संचिका